



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39966

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1725/2026

गोपाल निषाद @ बउआ

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सुशील कुमार

द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., वंदना गौतम, विकास कृष्ण मूर्ति

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में सूचनाकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना की तारीख को जब उसकी नाबालिग बेटी लगभग 17 साल और 10 महीने की अकेली थी, तो आवेदक वहां आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि न तो आवेदक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी, न ही उसने उसके साथ बलात्कार किया था, जबकि, पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। उसकी रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता 17 से 19 साल की उम्र में पाई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना 20.08.2025 को हुई थी और उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



02.09.2025 के अनुसार 02.09.2025 को वह छह सप्ताह और पांच दिन की गर्भावस्था में पाई गई थी, इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का मामला है और आवेदक को गुप्त उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामले में फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 11.09.2025 से जेल में है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

5. आवेदक-गोपाल निषाद @ बउआ को 2025 के मुकदमा अपराध संख्या 114 के मामले में, बी.एन.एस. की धारा 333, 64(1), 352 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, की धारा 5(जे)(2)/6 पुलिस स्टेशन- महेवाघाट, जिला- कौशाम्बी के तहत, एक व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने और निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका आवेदक आरोपी है, या आयोग पर संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

6. ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के चूक के मामले में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फ़रवरी 20, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"